रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112026-277817
CG-DL-E-10112026-277817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5886] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2026/कार्तिक 19, 1948
No. 5886] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026/KARTIKA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

का.आ. 6119(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"34	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 [पुराने एनएच-221 के किमी. 71.200 से किमी. 121.00 (आंध्र प्रदेश सीमा से रुद्रमपुर खंड) को छोड़कर], संख्या 44 [पुराने एनएच-7 के किमी. 9.4 से किमी. 22.300 (हैदराबाद-बेंगलुरु खंड) को छोड़कर], संख्या 61, संख्या 65 [पुराने एनएच-9 के किमी. 40.000 से आंध्र प्रदेश सीमा और किमी. 423.800 से किमी. 493.000 (कर्नाटक सीमा - संगारेड्डी खंड) और संगारेड्डी से मियापुर (32 किमी) को छोड़कर], संख्या 150, संख्या 161बी, संख्या 161बीबी, सं.167के, सं.167एन, संख्या 353बी, संख्या 353सी, संख्या 365, संख्या 365ए [किमी. 0.00 से किमी. 35.40 (कोदाद- खम्मम खंड) को छोड़कर], संख्या 365बी, संख्या 565, संख्या 765डी, संख्या 765डीजी और संख्या 930पी के उतने भाग, जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित हैं।	तेलंगाना राज्य सरकार"

[फा. सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 5860 (अ), दिनांकित 28 अक्टूबर, 2026 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

S.O. 6119(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 34 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"34	So much of National Highway No. NH No.30 [excluding from Km. 71.200 to Km. 121.00 (AP Border to Rudrampur Section) of Old NH-221], No. 44 [from Km. 9.4 to Km. 22.300 (Hyderabad- Bangaluru section) of old NH-7], No. 61, No. 65 [excluding from Km. 40.000 to AP Border and from km. 423.800 to km 493.000 (Karnataka Border – Sangareddy section) and from Sangareddy to Miyapur (32km) of old NH-9], No. 150, No. 161B, No. 161BB, No. 167K, No.167N, No.353B, No.353C, No. 365, No.365A [excluding from Km. 0.00 to Km. 35.40 (Kodad- Khammam section)], No.365B, No.565, No.765D, No.765DG and No.930P, as are situated within the State of Telangana.	State Government of Telangana.

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5860(E), dated the 28th October, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

का.आ. 6120(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड को कॉलम (2) में विनिर्दिष्टानुसार उक्त तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
एनएच-63	यह राजमार्ग महाराष्ट्र राज्य में बार्शी के निकट एनएच-548सी के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर येडशी, ढोकी, मुरुड, लातूर, रेणापुर, नालेगांव, दिघोई, उदगीर, देगलूर, आदमपुर, खटगांव, सगरोली को जोड़ता है; इसके बाद तेलंगाना राज्य में निजामाबाद, मेटपल्ली, मंचेरियल, चिन्नूर को जोड़ता है; फिर महाराष्ट्र राज्य के सिरोंचा, छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर और जगदलपुर, तथा कोटापाड को जोड़ते हुए ओडिशा राज्य में बोरीगुमा के निकट एनएच-26 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।	तेलंगाना राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा
एनएच 65 (पुराना एनएच - 9)	संगारेड्डी से मियापुर (तेलंगाना राज्य में)	32 किमी
एनएच-163	यह राजमार्ग छत्तीसगढ़ राज्य में भोपालपटनम के निकट एनएच-63 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर तेलंगाना राज्य में वेंकटपुरम, वारंगल, हैदराबाद, मोइनाबाद, चेवेल्ला, मन्नेगुड़ा, कोडंगल को जोड़ता है और तेलंगाना/कर्नाटक सीमा पर रावुलापल्ली के निकट समाप्त होता है।	तेलंगाना राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा
एनएच-167	यह राजमार्ग कर्नाटक राज्य में एनएच-67 पर हग्गारी से शुरू होकर आंध्र प्रदेश राज्य में आलूर, अडोनी, मंत्रालयम को जोड़ता है; फिर कर्नाटक राज्य में रायचूर को जोड़ता है; इसके बाद तेलंगाना राज्य में महबूबनगर, जडचेरला, कल्वकुर्ति, देवराकोंडा, मिर्यालगुडा को जोड़ते हुए कोदाद में एनएच-65 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।	तेलंगाना राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा

[फा. सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

S.O. 6120(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-63	The Highway starting from its junction with NH-548C near Barshi and connecting to Yedshi, Dhoki, Murud, Latur, Renapur, Nalegaon, Dighoi, Udgir, Deglur, Adampur, Khatgoan, Sagroli in the state of Maharashtra connecting Nizamabad, Metpalli, Mancheral, Chinnur in the State of Telangana, Sironcha in the State of Maharashtra, Bijapur, Jagdalpur in the State of Chhattisgarh, Kotapad and terminating at its junction with NH-26 near Boriguma in the State of Orissa.	Entire NH falling in the State of Telangana
NH 65 (old NH-9)	Sangareddy to Miyapur (In the State of Telangana)	32 km
NH-163	The highway starting from its junction with NH 63 near Bhopalpatnam in the State of Chhatishgarh connecting Venkatpuram, Warangal, Hyderabad, Moinabad, Chevella, Manneguda, Kodangal in the State of Telangana and terminating near Ravulapalli at Telangana/Karnataka border.	Entire NH falling in the State of Telangana
NH-167	The highway starting from Haggari on NH-67 in the State of Karnataka connecting Alur, Adoni, Mantralayam in the State of Andhra Pradesh connecting Raichur in the State of Karnataka connecting Mahbubnagar, Jadcherla, Kalwakurthi, Deverakonda, Miryalaguda and terminating at its junction with NH No. 65 at Kodad in the state of Telangana.	Entire NH falling in the State of Telangana

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

का.आ. 6121(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1669(अ), दिनांकित 26 मई, 2020 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड की लंबाई किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
63	आर्मूर – मंचेरियल (तेलंगाना राज्य में)	किमी 28.00 से किमी 168.00 तक
163	हैदराबाद- मन्नेगुडा (तेलंगाना राज्य में)	किमी 14.00 से किमी 59.50 तक
167	तेलंगाना/कर्नाटक सीमा (हग्गारी)- महबूबनगर- जडचेरला (तेलंगाना राज्य में)	किमी 182.120 से किमी 283.00 तक

[फा. सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

S.O. 6121(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1669 (E), dated the 26th May, 2020, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

National Highway Number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
63	Armoor – Mancherial (In the State of Telangana)	Km. 28.00 to 168.00
163	Hyderabad- Manneguda (In the State of Telangana)	Km. 14.00 to 59.50
167	Telangana/ Karnataka border (Haggari)- Mahabubnagar-Jadcherla (In the State of Telangana)	Km. 182.120 to 283.00

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

का.आ. 6122(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2573(अ), दिनांकित 11 अगस्त, 2017 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	**खंड**	**खंड की लंबाई किलोमीटर में**
(1)	(2)	(3)
222 (नई एनएच सं.61)	(महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा (कल्याण से निर्मल खंड) (तेलंगाना राज्य में)	किमी 615.00 से किमी 668.60 तक
365 (नया)	(तन्नमचेरला से जमंडलापल्ली खंड) (तेलंगाना राज्य में)	किमी 72.60 से किमी 121.00 तक
365 (नया)	(मंगलवारपेट से मल्लमपल्ली खंड) (तेलंगाना राज्य में)	किमी 154.00 से किमी 187.00 तक

[फा. सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

S.O. 6122(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2573 (E), dated the 11th August, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

National Highway Number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
222 (New NH No.61)	(Mah/AP border (Kalyan to Nirmal Section) (In the State of Telangana)	Km 615.00 to Km 668.60
365 (New)	(Tannamcherla to Jamandlapally Section) (In the State of Telangana)	Km 72.60 to Km 121.00.
365 (New)	(Mangalwarpet to Mallampalli Section) (In the State of Telangana)	Km 154.00 to Km 187.00

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

का.आ. 6123(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1035(अ), दिनांकित 07 मई, 2010, में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	खंड की लंबाई किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
202	आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद से यदगिरि तक (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 18.600 से किमी 54.000 तक

[फा. सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

S.O. 6123(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1035 (E), dated the 7th May, 2010, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

National Highway Number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
202	From Hyderabad to Yadgiri in the State of Andhra Pradesh (In the State of Andhra Pradesh)	From km. 18.600 to km. 54.000

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

का.आ. 6124(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 416(अ), दिनांकित 09 फरवरी, 2016, में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	**खंड**	**खंड की लंबाई किलोमीटर में**
(1)	(2)	(3)
202	यदगिरि-वारंगल खंड (तेलंगाना राज्य में)	किमी. 54.000 से किमी. 150.000

[फा. सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

S.O. 6124(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.416 (E), dated the 09th February, 2016, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

National Highway Number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
202	Yadgiri-Warangal section (In the State of Telangana)	Km. 54.000 to km. 150.000

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA